Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 94-2019/Ext.] CHANDIGARH, FRIDAY, JUNE 7, 2019 (JYAISTHA 17, 1941 SAKA)

हरियाणा सरकार

सिंचाई तथा जल संसाधन विभाग

अधिसूचना

दिनांक : 07.06.2019

संख्या 46/22/2019–3 सिं.कार्य.– भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा सिंचाई तथा जल संसाधन विभाग राजस्व स्थापना (ग्रुप ग) सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती तथा सेवा की शर्तों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं; अर्थात्:–

भाग – 1 सामान्य

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ।

(1) ये नियम हरियाणा सिंचाई तथा जल संसाधन विभाग राजस्व स्थापना (ग्रुप ग) सेवा नियम, 2019 कहे जा सकते हैं।

(2) ये नियम इनके राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. परिभाषाएं।

इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–

(क) "बोर्ड" से अभिप्राय है,–

(i) हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी; या

(ii) कोई अन्य बोर्ड जिसे इन नियमों के प्रयोजनार्थ सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड के रुप में घोषित किया गया हो;

(ख) "आयोग" से अभिप्राय है, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग;

(ग) "उप संग्रहक" से अभिप्राय है, सिंचाई तथा जल संसाधन विभाग, हरियाणा का उप संग्रहक"

(घ) "सीधी भर्ती" से अभिप्राय है, कोई भी नियुक्ति, जो सेवा में से पदोन्नति द्वारा या भारत सरकार या किसी राज्य सरकार की सेवा में पहले से लगे किसी कर्मचारी के स्थानांतरण से अन्यथा की गई हो ;

(ड़) "प्रमुख अभियंता" से अभिप्राय है, सिंचाई तथा जल संसाधन विभाग, हरियाणा का प्रमुख अभियंता;

(च) "कार्यकारी अभियंता" से अभिप्राय है, सिंचाई तथा जल संसाधन विभाग, हरियाणा के मण्डल के रुप में ज्ञात नहर प्रणाली या क्षेत्र का कार्यभारी अधिकारी;–

(छ) "महाप्रबन्धक" से अभिप्राय है, सिंचाई तथा जल संसाधन विभाग, हरियाणा का महाप्रबन्धक/परियोजना;

(ज) "सरकार" से अभिप्राय है, प्रशासनिक विभाग में हरियाणा सरकार ;

(झ) "संस्था" से अभिप्राय है,–

(i) हरियाणा राज्य में लागू विधि द्वारा स्थापित कोई संस्था; या

(ii) इन नियमों के प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई अन्य संस्था;

(ञ) "मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय" से अभिप्राय है,–

(i) भारत में विधि द्वारा निगमित कोई विश्वविद्यालय ; या

(ii) कोई अन्य विश्वविद्यालय, जो इन नियमों के प्रयोजनार्थ सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय के रुप में घोषित किया गया हो ;

(ट) "सेवा" से अभिप्राय है, हरियाणा सिंचाई तथा जल संसाधन विभाग राजस्व स्थापना (ग्रुप ग) सेवा।

(ठ) "अधीक्षक अभियंता" से अभिप्राय है, सिंचाई तथा जल संसाधन विभाग, हरियाणा के परिमंडल के नाम से ज्ञात क्षेत्र की नहर प्रणाली का कार्यभारी अधिकारी।

भाग – II सेवा में भर्ती

3. पदों की संख्या तथा उनका स्वरुप।

सेवा में, इन नियमों के परिशिष्ट–क में दर्शाए गए पद समाविष्ट होंगे ;

परन्तु इन नियमों की कोई भी बात ऐसे पदों की संख्या में वृद्धि या कमी करने या विभिन्न पदनामों और वेतनमानों वाले नए पद स्थाई अथवा अस्थाई रुप से बनाने के सरकार के अन्तर्निहित अधिकार पर प्रभाव नहीं डालेगी।

4. सेवा में नियुक्त किए गए उम्मीदवारों की राष्ट्रीयता, अधिवास तथा चरित्र।

(1) कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी भी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा, जब तक वह निम्नलिखित न हो,–

(क) भारत का नागरिक; या

(ख) नेपाल की प्रजा; या

(ग) भूटान की प्रजा :

परन्तु प्रवर्ग (ख) या (ग) से संबंधित किसी प्रवर्ग का व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति होगा जिसके पक्ष में सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण पत्र जारी किया गया हो।

(2) कोई भी व्यक्ति, जिसकी दशा में पात्रता का प्रमाण पत्र आवश्यक हो, उसे आयोग या किसी अन्य भर्ती प्राधिकरण द्वारा संचालित परीक्षा या साक्षात्कार के लिए प्रविष्ट किया जा सकता है, किन्तु नियुक्ति का प्रस्ताव उसे केवल सरकार द्वारा आवश्यक पात्रता प्रमाण पत्र जारी किए जाने के बाद ही दिया जा सकता है।

(3) कोई भी व्यक्ति, सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती द्वारा तब तब नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तब वह अपने अंतिम उपस्थिति के विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय या संस्था, यदि कोई हो, के प्रधान शैक्षणिक अधिकारी से चरित्र प्रमाण पत्र और दो ऐसे अन्य जिम्मेवार व्यक्तियों से, जो उसके संबंधी न हों, किन्तु उसके व्यक्तिगत जीवन में उससे भली भांति परिचित हों, और जो उसके विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय या संस्था से संबंधित न हों, उसी प्रकार के प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करे।

5. आयु।

कोई व्यक्ति सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त नहीं किया जाएगा जो आयोग या किसी अन्य भर्ती प्राधिकरण को आवेदन की प्रस्तुति के अंतिम दिन को अठारह वर्ष से कम या बयालीस वर्ष की आयु से अधिक का हो।

6. योग्यताएं।

कोई भी व्यक्ति, सेवा में किसी भी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा, जब तक वह सीधी भर्ती की दशा में, इन नियमों के परिशिष्ट ख के खाना 3 तथा सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्ति की दशा में पूर्वोक्त परिशिष्ट के खाना 4 में विनिर्दिष्ट योग्यताएं तथा अनुभव न रखता हो :

परन्तु सीधी भर्ती की दशा में अनुभव संबंधी योग्यताओं में आयोग के विवेक पर पचास प्रतिशत सीमा तक ढील दी जा सकेगी यदि अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और शारीरिक रुप से विकलांग उम्मीदवारों के लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध न हो, ऐसा करने के लिए लिखित रुप में कारण दिए जाएंगे।

7. अयोग्यताएं।

कोई भी व्यक्ति,–

(क) जिसने जीवित पति/पत्नी वाले व्यक्ति से विवाह कर लिया अथवा विवाह की संविदा कर ली है ; या

(ख) जिसने पति/पत्नी के जीवित होते हुए किसी अन्य व्यक्ति से विवाह कर लिया है या विवाह की संविदा कर ली है, सेवा में किसी भी पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि सरकार की सन्तुष्टि हो जाए कि ऐसे व्यक्ति और विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू स्वीय विधि के अधीन ऐसा विवाह अनुज्ञेय है और ऐसा करने के अन्य आधार भी हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के लागू होने से छूट दे सकती है।

8. नियुक्ति प्राधिकारी।

सेवा में पदों पर नियुक्ति इन नियमों के परिशिष्ट ग में यथा विहित नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा की जाएगी।

9. भर्ती का ढ़ंग।

(1) सेवा में भर्ती निम्नलिखित ढ़ंग से की जाएगी,–

(क) जिलेदार की दशा में,–

(i) 50 प्रतिशत वरिष्ठता एवं मेरिट के आधार पर मुख्य राजस्व लिपिक, निर्धारण लिपिक, राजस्व लिपिक तथा सहायक राजस्व लिपिक में से पदोन्नति द्वारा;

(ii) 50 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा या किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में जिलेदार के रुप में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानांतरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा :

परन्तु जिलेदार के रुप में सीधी भर्ती की दशा में आरंभिक नियुक्ति जिलेदार उम्मीदवार के रुप में की जाएगी।

(ख) मुख्य राजस्व लिपिक की दशा में ,–

सौ प्रतिशत निर्धारण लिपिकों में से पदोन्नति द्वारा;

(ग) निर्धारण लिपिक की दशा में ,–

सौ प्रतिशत राजस्व लिपिकों में से पदोन्नति द्वारा;

(घ) राजस्व लिपिक की दशा में ,–

सौ प्रतिशत सहायक राजस्व लिपिकों में से पदोन्नति द्वारा;

(ड़) सहायक राजस्व लिपिक की दशा में ,–

(i) 75 प्रतिशत नहरी पटवारियों में से पदोन्नति द्वारा; तथा

(ii) 25 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा या किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में सहायक राजस्व लिपिक के रुप में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानांतरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ;

परन्तु सहायक राजस्व लिपिक के रुप में सीधी भर्ती की दशा में आरंभिक नियुक्ति सहायक राजस्व लिपिक उम्मीदवार के रुप में की जाएगी।

(च) नहरी पटवारी की दशा में,–

सौ प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा :

परन्तु नहरी पटवारी के रुप में सीधी भर्ती की दशा में आरंभिक नियुक्ति नहरी पटवारी उम्मीदवार के रुप में की जाएगी।

(2) सभी पदोन्नतियां जब तक अन्यथा उपबन्धित न हो, ज्येष्ठता एवं योग्यता के आधार पर की जाएंगी तथा केवल ज्येष्ठता ही ऐसी पदोन्नतियों के लिए कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगी।

(3) सीधी भर्ती के रुप में नियुक्त उम्मीदवारों को प्रशिक्षण पर जाना होगा :–

(क) जिलेदार उम्मीदवार की दशा में,–

(i) वह "उप संग्रहक" के पर्यवेक्षण के अधीन छहः मास की अवधि के लिए प्रशिक्षण पर जाएगा तथा प्रशिक्षण को पूरा करने के बाद उम्मीदवार को परिशिष्ट घ में उपबन्धित पाठ्यक्रम के अनुसार विभागीय परीक्षा पास करनी अपेक्षित होगी। इसके अतिरिक्त, वह सरकार द्वारा यथा विनिर्दिष्ट प्राधिकृत किसी संस्था से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस (एम.एस.) तथा डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम (डी. बी.एम.एस.), कम्प्यूटर प्रोफिसैन्सी कार्यक्रम का तीन मास का प्रमाण पत्र सम्मिलित है, पूर्ण करेगा। परीक्षा पास करने के बाद उम्मीदवार को जिलेदार के रुप में नियुक्त किया जाएगा।

(ii) परीक्षा मुख्यालय स्तर पर आयोजित की जाएगी;

(iii) यदि, उम्मीदवार प्रथम अवसर में परीक्षा पास करने में असमर्थ है, तो उसे अंतिम परीक्षा की तिथि से प्रत्येक तीन मास की अवधि के बाद दो और अवसर दिए जाएंगें। तब तक, वह लगातार प्रशिक्षण पर रहेगा। यदि उम्मीदवार तीसरे अवसर के बाद भी परीक्षा पास करने में असमर्थ है, तो प्रमुख अभियंता तीन मास की अवधि के बाद एक अनुकम्पा (मर्सी) अवसर दे सकता है। तब तक, वह लगातार प्रशिक्षण पर रहेगा। यदि कोई उम्मीदवार अनुकम्पा अवसर प्राप्त करने के बाद भी परीक्षा पास करने मे असमर्थ है, तो जिलेदार उम्मीदवार के रुप में उसकी सेवा समाप्त कर दी जाएगी;

(iv) प्रशिक्षण की अवधि के दौरान तथा जिलेदार के रुप में उसके कार्यग्रहण करने तक, वह 20,000/– रुपये (केवल बीस हजार रुपये) प्रतिमास की दर से या सरकार द्वारा समय–समय पर यथा संशोधित दर से वजीफा प्राप्त करेगा; तथा

(v) यदि, प्रशिक्षण अवधि के दौरान किसी जिलेदार उम्मीदवार का कार्य या आचरण संतोषजनक नहीं पाया जाता है, तो उसका नाम स्वीकृत उम्मीदवारों की सूची से हटा दिया जाएगा;

(ख) सहायक राजस्व लिपिक उम्मीदवार की दशा में,–

(i) वह जिलेदार के पर्यवेक्षण के अधीन छहः मास की अवधि के लिए प्रशिक्षण पर जाएगा। प्रथम चार मास के लिए वह नहरी पटवारी से संलग्न रहेगा तथा आगामी दो मास के लिए सहायक राजस्व लिपिक के साथ संलग्न रहेगा। प्रशिक्षण को पूरा करने के बाद, उम्मीदवार को परिशिष्ट ड़ में उपबन्धित पाठ्यक्रम के अनुसार विभागीय परीक्षा पास करनी अपेक्षित होगी। परीक्षा पास करने के बाद, उम्मीदवार को सहायक राजस्व लिपिक के रुप में नियुक्त किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, वह सरकार द्वारा यथा विहित प्राधिकृत किसी संस्था से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस (एम.एस.) तथा डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम (डी.बी.एम.एस.), कम्प्यूटर प्रोफिसैन्सी कार्यक्रम का तीन मास का प्रमाण पत्र सम्मिलित है, पूर्ण करेगा। परीक्षा पास करने के बाद उम्मीदवार को सहायक राजस्व लिपिक के रुप में नियुक्त किया जाएगा।

(ii) परीक्षा मुख्यालय स्तर पर आयोजित की जाएगी।

(iii) यदि, उम्मीदवार प्रथम अवसर में परीक्षा पास करने में असमर्थ है, तो उसे अंतिम परीक्षा की तिथि से प्रत्येक तीन मास की अवधि के बाद दो और अवसर दिए जाएंगें। तब तक, वह लगातार प्रशिक्षण पर रहेगा। यदि उम्मीदवार तीसरे अवसर के बाद भी परीक्षा पास करने में असमर्थ है, तो प्रमुख अभियंता तीन मास की अवधि के बाद एक अनुकम्पा (मर्सी) अवसर दे सकता है। तब तक, वह लगातार प्रशिक्षण पर रहेगा। यदि कोई उम्मीदवार अनुकम्पा अवसर प्राप्त करने के बाद भी परीक्षा पास करने मे असमर्थ है, तो सहायक राजस्व लिपिक उम्मीदवार के रुप में उसकी सेवा समाप्त कर दी जाएगी; तथा

(iv) प्रशिक्षण की अवधि के दौरान, तथा सहायक राजस्व लिपिक के रुप में उसके कार्यग्रहण करने तक, वह 18,000/– रुपये (केवल अठारह हजार रुपये) प्रतिमास की दर से या सरकार द्वारा समय–समय पर यथा संशोधित दर से वजीफा प्राप्त करेगा; तथा

(v) यदि प्रशिक्षण अवधि के दौरान किसी सहायक राजस्व लिपिक उम्मीदवार का कार्य या आचरण संतोषजनक नहीं पाया जाता है, तो उसका नाम स्वीकृत उम्मीदवारों की सूची से हटा दिया जाएगा।

(ग) नहरी पटवारी उम्मीदवार की दशा में,–

(i) वह जिलेदार के पर्यवेक्षण के अधीन छहः मास की अवधि के लिए प्रशिक्षण पर जाएगा। प्रथम चार मास के लिए वह नहरी पटवारी से संलग्न रहेगा तथा आगामी दो मास के लिए सहायक राजस्व लिपिक के साथ संलग्न रहेगा। प्रशिक्षण को पूरा करने के बाद, उम्मीदवार को परिशिष्ट च में उपबन्धित पाठ्यक्रम के अनुसार विभागीय परीक्षा पास करनी अपेक्षित होगी। इसके अतिरिक्त, वह सरकार द्वारा यथा विनिर्दिष्ट प्राधिकृत किसी संस्था से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस (एम. एस.) तथा डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम (डी.बी.एम.एस.), कम्प्यूटर प्रोफिसैन्सी कार्यक्रम का तीन मास का प्रमाण पत्र सम्मिलित है, पूर्ण करेगा। परीक्षा पास करने के बाद उम्मीदवार को जिलेदार के रुप में नियुक्त किया जाएगा। परीक्षा पास करने के बाद, उम्मीदवार को नहरी पटवारी के रुप में नियुक्त किया जाएगा;

(ii) परीक्षा मुख्यालय स्तर पर आयोजित की जाएगी;

(iii) यदि, उम्मीदवार प्रथम अवसर में परीक्षा पास करने में असमर्थ है, तो उसे अंतिम परीक्षा की तिथि से प्रत्येक तीन मास की अवधि के बाद दो और अवसर दिए जाएंगें। तब तक, वह लगातार प्रशिक्षण पर रहेगा। यदि उम्मीदवार तीसरे अवसर के बाद भी परीक्षा पास करने में असमर्थ है, तो प्रमुख अभियंता तीन मास की अवधि के बाद एक अनुकम्पा (मर्सी) अवसर दे सकता है। तब तक, वह लगातार प्रशिक्षण पर रहेगा। यदि कोई उम्मीदवार अनुकम्पा अवसर प्राप्त करने के बाद भी परीक्षा पास करने मे असमर्थ है, तो नहरी पटवारी उम्मीदवार के रुप में उसकी सेवा समाप्त कर दी जाएगी।

(iv) प्रशिक्षण की अवधि के दौरान, तथा नहरी पटवारी के रुप में उसके कार्यग्रहण करने तक, वह 15,000/– रुपये (केवल पन्द्रह हजार रुपये) प्रतिमास की दर से या सरकार द्वारा समय–समय पर यथा संशोधित दर से वजीफा प्राप्त करेगा ; तथा

(v) यदि प्रशिक्षण अवधि के दौरान किसी नहरी पटवारी उम्मीदवार का कार्य या आचरण संतोषजनक नहीं पाया जाता है, तो उसका नाम स्वीकृत उम्मीदवारों की सूची से हटा दिया जाएगा।

10. परिवीक्षा।

(1) सेवा में किसी भी पद पर नियुक्त व्यक्ति, यदि वह सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो, तो दो वर्ष की अवधि के लिए और यदि वह अन्यथा नियुक्त किया गया हो, तो एक वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेगाः

परन्तु –

(क) ऐसी नियुक्ति के बाद किसी अनुरुप या उच्चतर पद पर प्रतिनियुक्ति पर व्यतीत की गई कोई अवधि, परिवीक्षा की अवधि में गिनी जाएगी ;

(ख) स्थानांतरण द्वारा किसी नियुक्ति की दशा में, सेवा में किसी पद पर नियुक्ति से पहले किसी समकक्ष अथवा उच्चतर पद पर किए गए कार्य की कोई अवधि, नियुक्ति प्राधिकारी के विवेक पर, इस नियम के अधीन नियत परिवीक्षा अवधि की और गिनने की अनुमति दी जा सकती है ; और

(ग) स्थानापन्न नियुक्ति की कोई भी अवधि परिवीक्षा पर व्यतीत की गई अवधि के रुप में गिनी जाएगी, किन्तु कोई भी व्यक्ति जिसने ऐसे स्थानापन्न रुप में कार्य किया है, परिवीक्षा की विहित अवधि के पूरा होने पर, किसी स्थायी रिक्ति पर नियुक्त न किया गया हो, पुष्ट किए जाने का हकदार नहीं होगा।

(2) यदि, नियुक्ति प्राधिकारी की राय में परिवीक्षा की अवधि के दौरान किसी व्यक्ति का कार्य अथवा आचरण संतोषजनक न रहा हो, तो वह,–

(क) यदि ऐसा व्यक्ति सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो तो उसे उसकी सेवाओं से अलग कर सकता है; या

उसकी परिवीक्षा अवधि एक वर्ष के लिए बढ़ा सकता है और उसके बाद ऐसे आदेश कर सकता है जो वह परिवीक्षा की प्रथम अवधि की समाप्ति पर कर सकता था :

परन्तु परिवीक्षा की कुल अवधि जिसमें बढ़ाई गई अवधि भी, यदि कोई है, शामिल है, तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(ख) यदि ऐसा व्यक्ति सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्त किया गया हो, तो,–

(i) उसे उसके पूर्व पद पर प्रतिवर्तित कर सकता है; या

उसकी परिवीक्षा अवधि बढ़ा सकता है और उसके बाद ऐसे आदेश कर सकता है जो वह परिवीक्षा की प्रथम अवधि की समाप्ति पर कर सकता थाः

परन्तु परिवीक्षा की कुल अवधि जिसमें बढ़ाई गई अवधि भी, यदि कोई है, शामिल है, दो वर्ष से अधिक नहीं होगी; तथा

(ii) उसके संबंध में ऐसी अन्य रीति में कार्यवाही कर सकता है, जो उसकी पूर्व नियुक्ति के निबन्धन और शर्तें अनुज्ञात करें ;

(3) किसी व्यक्ति की परिवीक्षा अवधि पूरी होने पर, नियुक्ति प्राधिकारी,–

(क) यदि उसकी राय में उसका कार्य तथा आचरण संतोषजनक पाया गया हो तो,–

(i) ऐसे व्यक्ति को उसकी नियुक्ति की तिथि से पुष्ट कर सकता है; यदि वह किसी स्थाई रिक्ति के विरुद्ध नियुक्त किया गया है; या

(ii) ऐसे व्यक्ति को ऐसी तिथि से पुष्ट कर सकता है जिसको स्थाई रिक्ति होती है, यदि अस्थाई रिक्ति के विरुद्ध नियुक्त किया गया है; या

(iii) घोषित कर सकता है कि उसने अपनी परिवीक्षा संतोषजनक रुप से पूरी कर ली है, यदि कोई स्थाई रिक्ति नहीं है; या

(ख) यदि उसकी राय में उसका कार्य या आचरण संतोषजनक न रहा हो, तो,–

(i) यदि वह सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो, तो उसे सेवा से अलग कर सकता है, यदि अन्यथा नियुक्त किया गया हो, तो उसे उसके पूर्व पद पर प्रतिवर्तित कर सकता है या उसके संबंध में ऐसी अन्य रीति में कार्यवाही कर सकता है जो उसकी पूर्व नियुक्ति के निबंधन तथा शर्तें अनुज्ञात करें; या

(ii) उसकी परिवीक्षा अवधि बढा सकता है और उसके बाद ऐसे आदेश पारित कर सकता है जो वह परिवीक्षा की प्रथम अवधि की समाप्ति पर कर सकता था ;

परन्तु परिवीक्षा की कुल अवधि जिसमें बढ़ाई गई अवधि भी, यदि कोई है, शामिल है, तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी

11. ज्येष्ठता।

सेवा के सदस्यों की परस्पर ज्येष्ठता, सेवा में किसी भी पद पर उनके लगातार सेवाकाल के अनुसार निश्चित की जाएगी :

परन्तु सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में, ज्येष्ठता नियत करते समय आयोग या किसी अन्य भर्ती प्राधिकरण, जैसी भी स्थिति हो, द्वारा निर्धारित योग्यता क्रम भंग नहीं किया जाएगा :

परन्तु यह और कि एक ही तिथि को नियुक्त दो या दो से अधिक सदस्यों की दशा में, उनकी ज्येष्ठता निम्नलिखित रुप से निर्धारित की जाएगीः–

(क) सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त सदस्य पदोन्नति या स्थानांतरण द्वारा नियुक्त सदस्य से ज्येष्ठ होगा,

(ख) पदोन्नति द्वारा नियुक्त सदस्य स्थानांतरण द्वारा नियुक्त सदस्य से ज्येष्ठ होगा ;

(ग) पदोन्नति अथवा स्थानांतरण द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में, ज्येष्ठता ऐसी नियुक्तियों में ऐसे सदस्यों की ज्येष्ठता के अनुसार निर्धारित की जाएगी, जिनमें से वे पदोन्नत या स्थानांतरित किए गए थे ; और

(घ) विभिन्न संवर्गों से स्थानांतरण द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में, उनकी ज्येष्ठता वेतन के अनुसार निर्धारित की जाएगी, अधिमान ऐसे सदस्य को दिया जाएगा जो अपनी पहले की नियुक्ति में उच्चतर दर पर वेतन ले रहा था, और यदि मिलने वाले वेतन की दर भी समान हो तो उनकी नियुक्तियों में उनके

सेवाकाल के अनुसार और यदि सेवाकाल भी समान हो, तो आयु में बड़ा सदस्य छोटे सदस्य से ज्येष्ठ होगा :

परन्तु यह और कि सेवा के सदस्यों की ज्येष्ठता मुख्यालय स्तर पर अनुरक्षित की जाएगी।

12. वेतन, छुट्टी, पेंशन तथा अन्य मामले।

(1) वेतन, छुट्टी, पेंशन और सभी अन्य मामलों के संबंध में, जिनका इन नियमों में स्पष्ट रुप से उपबन्ध नहीं किया गया है, सेवा के सदस्य हरियाणा सिविल सेवा (सामान्य) नियम, 2016, हरियाणा सिविल सेवा (वेतन) नियम, 2016, हरियाणा सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 2016, हरियाणा सिविल सेवा (सरकारी कर्मचारी भत्ते) नियम, 2016, हरियाणा सिविल सेवा (सामान्य भविष्य निधि) नियम, 2016, हरियाणा सिविल सेवा (सरकारी कर्मचारी आचरण) नियम, 2016, हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 2016, हरियाणा सिविल सेवा (यात्रा भत्ता) नियम, 2016, हरियाणा सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2016 तथा ऐसे नियमों द्वारा शासित होंगे, जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा भारत के संविधान के अधीन अथवा राज्य विधान मण्डल द्वारा बनाई गई तथा उस समय लागू किसी विधि के अधीन अपनाए या बनाए गए हों अथवा इसके बाद अपनाए या बनाए जाएं :

परन्तु हरियाणा सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2016 के उपबन्ध, उन सेवा के सदस्यों को लागू नहीं होंगे जो प्रथम जनवरी, 2006 को या उसके बाद नियुक्त किए गए हैं।

(2) कोई सरकारी कर्मचारी जो सेवा या पद से सेवानिवृत होता है, अधिवर्षिता पेंशन (किन्तु पेंशन की किसी अन्य किस्म के लिए नहीं) के लिए अर्हक सेवा में परिवर्धन करने के लिए पात्र होगा –

(i) उसकी सेवा की अवधि के एक चौथाई से अनधिक वास्तविक अवधि; या

(ii) वास्तविक अवधि, जिससे भर्ती के समय उसकी आयु पच्चीस वर्ष से अधिक होती है; या

(iii) पांच वर्ष की अवधि,

इनमें से जो भी कम हो, यदि वह सेवा या पद, जिसमें सरकारी कर्मचारी की नियुक्ति की गई है, निम्नलिखित में से कोई एक है,–

(क) जिसके लिए प्रौद्योगिकी या व्यावसायिक क्षेत्र में विशिष्ट वैज्ञानिक स्नातकोत्तर अनुसंधान या अर्हता या अनुभव अनिवार्य है ; और

(ख) जिस पर सामान्यतः पच्चीस वर्ष से अधिक आयु के उम्मीदवार भर्ती किए गए हैं :

परन्तु यह छूट उन सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय होगी, जिनकी,–

(i) नियुक्ति सीधी भर्ती द्वारा की गई है और न कि पदोन्नति द्वारा ;

(ii) वास्तविक अर्हक सेवा अधिवर्षिता सेवानिवृति के समय दस वर्ष या अधिक है;

(iii) किसी ऐसे पद पर नियुक्त है, जिसके लिए भर्ती नियमों में यह विशिष्ट उपबन्ध अन्तर्विष्ट है कि जिसमें सेवा या पद वह है, जो इस नियम का लाभ ले सकता है ;

परन्तु उपरोक्त उप–नियम (2) के उपबन्ध उन सेवा के सदस्यों पर लागू नहीं होंगे जो प्रथम जनवरी, 2006 को या उसके पश्चात् नियुक्त हुए हैं।

(3) उप–नियम (2) में निर्दिष्ट छूट उसी विभाग में या किसी अन्य विभाग में किसी अन्य पद से ऐसे पद पर पश्चात्वर्ती नियुक्ति को भी लागू होगी :

परन्तु सरकारी कर्मचारी या तो अपनी पूर्ववर्ती अर्हक सेवा को अधिवर्षिता पेंशन के लिए हिसाब में लेने का हकदार होगा या उप–नियम (2) के अधीन छूट प्राप्त करने का हकदार होगा। वह इस आशय के विकल्प का प्रयोग पद ग्रहण करने की तिथि से एक वर्ष की अवधि के भीतर करेगा। एक बार प्रयोग किया गया विकल्प अन्तिम होगा।

टिप्पण :– इस नियम के अधीन छूट प्रदान करने का निर्णय प्रशासनिक विभाग द्वारा वित्त विभाग के परामर्श से भर्ती की तिथि से दो वर्ष के भीतर लिया जाएगा।

13. सेवा करने का दायित्व।

(1) सेवा का कोई सदस्य, नियुक्त प्राधिकारी द्वारा, हरियाणा राज्य में अथवा उसके बाहर किसी भी स्थान पर, सेवा करने के लिए आदेश दिए जाने पर ऐसा करने के लिए दायी होगा।

(2) सेवा के किसी सदस्य को सेवा के लिए नीचे लिखेनुसार भी प्रतिनियुक्त किया जा सकता है,–

(i) कोई कम्पनी, संगम या व्यष्टि निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं जिसका पूर्ण या अधिकांश स्वामित्व या नियंत्रण राज्य सरकार के पास है, या हरियाणा राज्य के भीतर, नगर निगम या स्थानीय प्राधिकरण या विश्वविद्यालय ;

(ii) केन्द्रीय सरकार या ऐसी कम्पनी, संगम या व्यष्टि निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं, जिसका पूर्ण या अधिकांश स्वामित्व या नियंत्रण केन्द्रीय सरकार के पास हो ; अथवा

(iii) किसी अन्य राज्य सरकार, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, स्वायत्त निकाय, जिसका नियंत्रण सरकार के पास न हो अथवा गैर सरकारी निकाय :

परन्तु सेवा के किसी भी सदस्य को उसकी सहमति के बिना खण्ड (ii) या खण्ड (iii) में निर्दिष्ट केन्द्रीय या किसी अन्य राज्य सरकार या किसी संगठन या निकाय में सेवा करने के लिए प्रतिनियुक्त नहीं किया जाएगा।

14. अनुशासन, शास्तियां तथा अपीलें।

(1) अनुशासन, शास्तियों और अपीलों से संबंधित मामलों में सेवा के सदस्य समय–समय पर, यथा संशोधित हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 2016 द्वारा शासित होंगे :

परन्तु ऐसी शास्तियों का स्वरुप जो लगाई जा सकती है, ऐसी शास्तियां लगाने के लिए सशक्त प्राधिकारी और अपील प्राधिकारी, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अधीन बनाई गई किसी विधि या नियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए वे होंगे, जो इन नियमों के परिशिष्ट ग में विनिर्दिष्ट है।

(2) हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 2016 के नियम 6 के अधीन आदेश पारित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी और अपील प्राधिकारी वह होगा, जो इन नियमों के परिशिष्ट ग में यथा विनिर्दिष्ट हैं।

15. टीका लगवाना।

सेवा का प्रत्येक सदस्य, स्वयं को टीका लगवाएगा तथा जब कभी सरकार किसी विशेष या साधारण आदेश द्वारा ऐसा निर्देश करे, पुनः टीका लगवाएगा।

16. राज्यनिष्ठा की शपथ।

सेवा के प्रत्येक सदस्य से जब तक उसने पहले ही भारत के प्रति तथा विधि द्वारा यथा स्थापित भारत के संविधान के प्रति राजनिष्ठा की शपथ न ले ली हो, ऐसा करने की अपेक्षा की जाएगी।

17. आरक्षण।

इन नियमों में दी गई कोई बात राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों, अन्य विकलांग व्यक्तियों या व्यक्तियों के किसी वर्ग या प्रवर्ग को दिए जाने के लिए अपेक्षित आरक्षणों तथा अन्य रियायतों को प्रभावित नहीं करेगी।

18. विशेष उपबन्ध।

इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी, नियुक्ति प्राधिकारी, यदि वह नियुक्ति के आदेश में विशेष निबन्धन और शर्तें लगाना उचित समझे तो वह ऐसा कर सकता है।

19. ढ़ील देने की शक्ति।

जहां सरकार की राय में, इन नियमों के किसी उपबन्ध में ढ़ील देना आवश्यक या समीचीन हो, वहां वह कारण लिखकर, आदेश द्वारा, व्यक्तियों के किसी वर्ग या प्रवर्ग के बारे में ऐसा कर सकती है।

20. निरसन तथा व्यावृत्ति।

पंजाब लोक निर्माण विभाग (सिंचाई शाखा) पटवारी राज्य सेवा, श्रेणी–III, नियम, 1955, पंजाब लोक निर्माण विभाग (सिंचाई शाखा) जिलेदार राज्य सेवा, श्रेणी–III, नियम, 1955, हरियाणा राज्यार्थ तथा हरियाणा सिंचाई विभाग राजस्वतथा निर्धारण लिपिक (ग्रुप–ग) सेवा नियम, 1991 इसके द्वारा निरसित किए जाते हैं :

परन्तु इस प्रकार से निरसित नियमों के अधीन किया गया कोई आदेश अथवा की गई कोई कार्यवाही इन नियमों के अनुरुप उपबन्धों के अधीन किया गया आदेश अथवा की गई कार्यवाही समझी जाएगी।

परिशिष्ट क

(देखिए नियम– 3)

क्रम संख्या	पदनाम	पदों की संख्या			वेतनमान
(1)	(2)	(3)			(4)
1	जिलेदार	स्थाई	अस्थाई	कुल	संशोधित वेतन नियम, 2016 का एफ पी एल– 6 (रु0 35400–112400)
		108	12	120	
2	मुख्य राजस्व लिपिक	44	05	49	संशोधित वेतन नियम, 2016 का एफ पी एल – 6 (रु0 35400–112400)
3	निर्धारण लिपिक	22	02	24	संशोधित वेतन नियम, 2016 का एफ पी एल – 6 (रु0 35400–112400)
4	राजस्व लिपिक	84	09	93	संशोधित वेतन नियम, 2016 का एफ पी एल – 6 (रु0 35400–112400)
5	सहायक राजस्व लिपिक	183	20	203	संशोधित वेतन नियम, 2016 का एफ पी एल – 4 (रु0 25500–81100)
6	नहरी पटवारी	1273	142	1415	संशोधित वेतन नियम, 2016 का एफ पी एल – 2 (रु0 19900–63200)

परिशिष्ट ख

(देखिए नियम 6)

क्रम संख्या	पदनाम	सीधी भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यताएं	सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्ति के लिए शैक्षणिक योग्यता तथा अनुभव, यदि कोई हो
1	2	3	4
1.	जिलेदार	(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 55 प्रतिशत अंकों सहित स्नातक या इसके समकक्ष; (ii) एक विषय के रुप में हिन्दी/संस्कृत सहित मैट्रिक/10+2/स्नातक या स्नातकोत्तर ;	(i) पदोन्नति द्वारा – (ii) मुख्य राजस्व लिपिक, निर्धारण लिपिक, राजस्व लिपिक या सहायक राजस्व लिपिक के रुप में तीन वर्ष का अनुभव; (iii) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या इसके समकक्ष : परन्तु न्यूनतम योग्यता उनके लिए जो इन नियमों के प्रकाशन की तिथि से पूर्व सेवा में भर्ती हुए हैं, 10+2 होगी।
2.	मुख्य राजस्व लिपिक	..	(i) पदोन्नति द्वारा; (ii) निर्धारण लिपिक के रुप में एक वर्ष का अनुभव।
3.	निर्धारण लिपिक	..	(i) पदोन्नति द्वारा; (ii) राजस्व लिपिक के रुप में दो वर्ष का अनुभव।
4.	राजस्व लिपिक	..	(i) पदोन्नति द्वारा; (ii) सहायक राजस्व लिपिक के रुप में तीन वर्ष का अनुभव।
5.	सहायक राजस्व लिपिक	(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 50 प्रतिशत अंकों सहित स्नातक या इसके समकक्ष; (ii) एक विषय के रुप में हिन्दी/संस्कृत सहित मैट्रिक/10+2/स्नातक या स्नातकोत्तर ;	(i) पदोन्नति द्वारा; (ii) नहरी पटवारी के रुप में पांच वर्ष का अनुभव।
6.	नहरी पटवारी	(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या इसके समकक्ष परीक्षा; (ii) एक विषय के रुप में हिन्दी/संस्कृत सहित मैट्रिक/10+2/ स्नातक या स्नातकोत्तर ;	..

परिशिष्ट ग

(देखिए नियम 8 तथा 14)

क्रम संख्या	**पदनाम**	**नियुक्ति प्राधिकारी**	**शास्ति का स्वरुप**	**शास्ति लगाने के लिए सशक्त प्राधिकारी**	**अपील प्राधिकारी**	**द्वितीय तथा अंतिम अपील प्राधिकारी, यदि कोई हो**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	जिलेदार	प्रमुख अभियंता	**लघु शास्तियां** हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 2016 के नियम 4 (क) में यथा वर्णित। **बड़ी शास्तियां** हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 2016 के नियम 4 (ख) में यथा वर्णित।	प्रमुख अभियंता	सरकार	——
2.	मुख्य राजस्व लिपिक					
3.	निर्धारण लिपिक					
4.	राजस्व लिपिक					
5.	सहायक राजस्व लिपिक					
6.	नहरी पटवारी	अधीक्षक अभियंता	**लघु शास्तियां** हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 2016 के नियम 4 (क) में यथा वर्णित। **बड़ी शास्तियां** हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 2016 के नियम 4 (ख) में यथा वर्णित।	अधीक्षक अभियंता	प्रमुख अभियंता	सरकार

परिशिष्ट घ

{देखिए नियम 9 (3)(क)(i)}

नीचे वर्णित पाठ्यक्रम के आधार पर विभागीय परीक्षा विभागाध्यक्ष द्वारा आयोजित की जाएगी जिसके लिए सिंचाई तथा जल संसाधन विभाग, हरियाणा के किसी अधीक्षक अभियंता को जिलेदार उम्मीदवारों की परीक्षा आयोजित कराने के लिए प्रतिनियुक्त किया जाएगा तथा उसके परिणाम के अनुमोदन तथा घोषणा के लिए विभागाध्यक्ष को प्रस्तुत किया जाएगा।

	परीक्षा का पाठ्यक्रम	पूर्ण अंक	पास अंक
(i)	**अंकगणित** – मैट्रिक स्तर तक	50	35
(ii)	**मापन –** समतल स्तह, त्रिभुज तथा बहुभुजी आकृतियां	50	35
(iii)	**सिंचाई का रजिस्ट्रेशन –** इस संबंध में जिलेदार के कार्य का सम्पूर्ण व्यावहारिक ज्ञान रखना। फसल के कम से कम 600 एकड़ के लिए गांव के सिंचाई रजिस्टर (शुदकर खसरा) को सही रुप से लिखने का प्रमाण पत्र रखना। प्रयोजन के लिए मुहैया विशेष शुदकर खसरा प्ररुप में सिंचाई लिखेगा। गांव का नक्शा (सजरा) पढ़ने के योग्य होना तथा भूमि पर सही रुप से खेतों का अनुगमन करना; कदम से मापकर सही रुप से माप करने में योग्य होना तथा इस प्रकार कदम से मापे गए खेतों के क्षेत्र की मानसिक रुप से गणना करना; चेन से किसी आकार के खेत का माप करने में योग्य होना।	50	35
(iv)	**मानचित्रण तथा ड्राईंग –** गांव के नक्शे, नहर की लाईन को सही रुप से रखने में योग्य होना; भूमि व्यवस्था वर्गाकार में तैयार करने में योग्य होना (जो गांव के नक्शे के आधार पर हो) तथा उस पर खेतों की सीमाएं भरना। गांव का नक्शा बनाने का तरीका जानना तथा उस नक्शे को वर्गाकार तरीके से घटाकर छोटा करना। कपड़े या कागज पर गांव का नक्शा अनुरेखित करने में योग्य होना।	50	35
(v)	**मांग विवरणी (खतौनी) –** मांग विवरणी खाते में चढ़ाने तथा सेचकों के बिल (पर्ची) तैयार करने के तरीके का सम्पूर्ण व्यावहारिक ज्ञान रखना। संतोषजनक तरीके से सिंचाई रजिस्टर से सम्पूर्ण गांव की मांग विवरणी वास्तविक रुप से तैयार करने का प्रमाण पत्र रखना। मानसिक रुप से तथा दर तालिका दोनों के अनुसार निर्धारित की जाने वाली राशियां निकालने में योग्य होना। विभाग में लागू तालिका के अनुसार सभी जल दरों को मौखिक रुप से दोहराने में योग्य होना।	50	35
(vi)	**विविध –** नहर या रजवाहे के किनारे में दरार या नहर से जलमग्न होने के अवसर पर जिलेदार के सम्पूर्ण कार्यों से परिचित होना। फसल की प्रत्येक किस्म को निरन्तर पानी देने के समय तथा कटाई की अनुमानित तिथियों तथा जिलेदार के कार्य तथा कर्तव्यों से संबंधित अन्य विविध मामलों का ज्ञान होना। निष्पक्ष विशुद्धता से छोटी नहरों का बहाव ग्रहण करने में योग्य भी होना।	50	35
(vii)	**नहर अधिनियम –** अपने कार्य से संबंधित हरियाणा नहर तथा जल निकास अधिनियम, 1974 तथा इसके अधीन बनाए गए हरियाणा नहर तथा जल निकास नियम, 1976 से संबंधित उपबन्धों का ज्ञान; अप्राधिकृत ढ़ंग से बर्बाद तथा प्रयोग किए गए पानी का निर्धारण करने की प्रणाली का ज्ञान होना।	50	35

परिशिष्ट ड़

{देखिए नियम 9 (3)(ख)(i)}

नीचे वर्णित पाठ्यक्रम के आधार पर विभागीय परीक्षा विभागाध्यक्ष द्वारा आयोजित की जाएगी जिसके लिए सिंचाई तथा जल संसाधन विभाग, हरियाणा के किसी कार्यकारी अभियंता या अधीक्षक अभियंता को सहायक राजस्व लिपिक उम्मीदवारों की परीक्षा आयोजित कराने के लिए प्रतिनियुक्त किया जाएगा तथा उसके परिणाम के अनुमोदन तथा घोषणा के लिए विभागाध्यक्ष को प्रस्तुत किया जाएगा।

	परीक्षा का पाठ्यक्रम	पूर्ण अंक	पास अंक
(i)	**अंकगणित** – मैट्रिक स्तर तक	50	30
(ii)	**मापन** – समतल स्तह, त्रिभुज तथा बहुभुजी आकृतियां	50	30
(iii)	**सिंचाई का रजिस्ट्रेशन** – इस संबंध में सहायक राजस्व लिपिक के कार्यों का सम्पूर्ण व्यावहारिक ज्ञान रखना। फसल के कम से कम 400 एकड़ के लिए गांव के सिंचाई रजिस्टर (शुदकर खसरा) को सही रुप से लिखने का प्रमाण पत्र रखना। प्रयोजन के लिए मुहैया विशेष शुदकर खसरा प्ररुप में सिंचाई लिखेगा। गांव का नक्शा (सजरा) पढ़ने के योग्य होना तथा भूमि पर सही रुप से खेतों का अनुगमन करना; कदम से मापकर सही रुप से माप करने में योग्य होना तथा इस प्रकार कदम से मापे गए खेतों के क्षेत्र की मानसिक रुप से गणना करना; चेन से किसी आकार के खेत का माप करने में योग्य होना।	50	30
(iv)	**मानचित्रण तथा ड्राईंग** – गांव के नक्शे, नहर की लाईन को सही रुप से रखने में योग्य होना; भूमि व्यवस्था वर्गाकार में तैयार करने में योग्य होना (जो गांव के नक्शे के आधार पर हो) तथा उस पर खेतों की सीमाएं भरना। गांव का नक्शा बनाने का तरीका जानना तथा उस नक्शे को वर्गाकार तरीके से घटाकर छोटा करना। कपड़े या कागज पर गांव का नक्शा अनुरेखित करने में योग्य होना।	50	30
(v)	**मांग विवरणी (खतौनी)** – मांग विवरणी खाते में चढ़ाने तथा सेचकों के बिल (पर्ची) तैयार करने के तरीके का सम्पूर्ण व्यावहारिक ज्ञान रखना। संतोषजनक तरीके से सिंचाई रजिस्टर से सम्पूर्ण गांव की मांग विवरणी वास्तविक रुप से तैयार करने का प्रमाण पत्र रखना। मानसिक रुप से तथा दर तालिका दोनों के अनुसार निर्धारित की जाने वाली राशियां निकालने में योग्य होना। मण्डल, जहां उम्मीदवार प्रशिक्षित हुआ था, में लागू तालिका के अनुसार सभी जल दरों को मौखिक रुप से दोहराने में योग्य होना।	50	30
(vi)	**विविध** – नहर या रजवाहे के किनारे में दरार या नहर से जलमग्न होने के अवसर पर सहायक राजस्व लिपिक के सम्पूर्ण कार्यों से परिचित होना। फसल की प्रत्येक किस्म को निरन्तर पानी देने के समय तथा कटाई की अनुमानित तिथियों तथा पटवारियों के कार्य तथा कर्तव्यों से संबंधित अन्य विविध मामलों का ज्ञान होना। निष्पक्ष विशुद्धता से छोटी नहरों का बहाव ग्रहण करने के योग्य भी होना।	50	30
(vii)	**नहर अधिनियम** – अपने कार्यों से संबंधित हरियाणा नहर तथा जल निकास अधिनियम, 1974 तथा इसके अधीन बनाए गए हरियाणा नहर तथा जल निकास नियम, 1976 से संबंधित उपबन्धों का ज्ञान; अप्राधिकृत ढ़ंग से बर्बाद तथा प्रयोग किए गए पानी का निर्धारण करने की प्रणाली का ज्ञान होना।	50	30

परिशिष्ट च

{देखिए नियम 9 (3)(ग)(i)}

नीचे वर्णित पाठ्यक्रम के आधार पर विभागीय परीक्षा विभागाध्यक्ष द्वारा आयोजित की जाएगी जिसके लिए सिंचाई तथा जल संसाधन विभाग, हरियाणा के किसी कार्यकारी अभियंता या अधीक्षक अभियंता को नहरी पटवारी उम्मीदवारों की परीक्षा आयोजित कराने के लिए प्रतिनियुक्त किया जाएगा तथा उसके परिणाम के अनुमोदन तथा घोषणा के लिए विभागाध्यक्ष को प्रस्तुत किया जाएगा।

	परीक्षा का पाठ्यक्रम	पूर्ण अंक	पास अंक
(i)	**अंकगणित** – मैट्रिक स्तर तक	50	25
(ii)	**मापन** – समतल स्तह, त्रिभुज तथा बहुभुजी आकृतियां	50	25
(iii)	**सिंचाई का रजिस्ट्रेशन** – इस संबंध में नहरी पटवारी के कार्यों का सम्पूर्ण व्यावहारिक ज्ञान रखना। फसल के कम से कम 300 एकड़ के लिए गांव के सिंचाई रजिस्टर (शुदकर खसरा) को सही रुप से लिखने का प्रमाण पत्र रखना। प्रयोजन के लिए मुहैया विशेष शुदकर खसरा प्ररुप में सिंचाई लिखेगा। गांव का नक्शा (सजरा) पढ़ने के योग्य होना तथा भूमि पर सही रुप से खेतों का अनुगमन करना; कदम से मापकर सही रुप से माप करने में योग्य होना तथा इस प्रकार कदम से मापे गए खेतों के क्षेत्र की मानसिक रुप से गणना करना; चेन से किसी आकार के खेत का माप करने में योग्य होना।	50	25
(iv)	**मानचित्रण तथा ड्राईंग** – गांव के नक्शे, नहर की लाईन को सही रुप से रखने में योग्य होना; भूमि व्यवस्था वर्गाकार में तैयार करने में योग्य होना (जो गांव के नक्शे के आधार पर हो) तथा उस पर खेतों की सीमाएं भरना। गांव का नक्शा बनाने का तरीका जानना तथा उस नक्शे को वर्गाकार तरीके से घटाकर छोटा करना। कपड़े या कागज पर गांव का नक्शा अनुरेखित करने में योग्य होना।	50	25
(v)	**मांग विवरणी (खतौनी)** – मांग विवरणी खाते में चढ़ाने तथा सेचकों के बिल (पर्ची) तैयार करने के तरीके का सम्पूर्ण व्यावहारिक ज्ञान रखना। संतोषजनक तरीके से सिंचाई रजिस्टर से सम्पूर्ण गांव की मांग विवरणी वास्तविक रुप से तैयार करने का प्रमाण पत्र रखना। मानसिक रुप से तथा दर तालिका दोनों के अनुसार निर्धारित की जाने वाली राशियां निकालने के योग्य होना। मण्डल, जहां उम्मीदवार प्रशिक्षित हुआ था, में लागू तालिका के अनुसार सभी जल दरों को मौखिक रुप से दोहराने में योग्य होना।	50	25
(vi)	**विविध** – नहर या रजवाहे के किनारे में दरार या नहर से जलमग्न होने के अवसर पर पटवारियों के सम्पूर्ण कार्यों से परिचित होना। फसल की प्रत्येक किस्म को निरन्तर पानी देने के समय तथा कटाई की अनुमानित तिथियों तथा पटवारियों के कार्य तथा कर्तव्यों से संबंधित अन्य विविध मामलों का ज्ञान होना। निष्पक्ष विशुद्धता से छोटी नहरों का बहाव ग्रहण करने में योग्य भी होना।	50	25
(vii)	**नहर अधिनियम** – अपने कार्य से संबंधित हरियाणा नहर तथा जल निकास अधिनियम, 1974 तथा इसके अधीन बनाए गए हरियाणा नहर तथा जल निकास नियम, 1976 से संबंधित उपबन्धों का ज्ञान; अप्राधिकृत ढ़ंग से बर्बाद तथा प्रयोग किए गए पानी का निर्धारण करने की प्रणाली का ज्ञान होना।	50	25

आलोक निगम,
अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
सिंचाई तथा जल संसाधन विभाग।

HARYANA GOVERNMENT

IRRIGATION AND WATER RESOURCES DEPARTMENT

Notification

The 7th June, 2019

No. 46/22/2019-3IW- In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Haryana hereby makes the following rules regulating the recruitment and conditions of service of persons appointed to the Irrigation and Water Resources Department Haryana Revenue Establishment Service (Group-C), namely :-

PART-I GENERAL

1. Short title and commencement:

(1) These rules may be called the Haryana Irrigation and Water Resources Department Revenue Establishment Service (Group C) Rules, 2019.

(2) These rules shall come into force from the date of its publication in the official Gazette.

2. Definitions:-

In these rules, unless the context otherwise requires:-

(a) "Board" means,

(i) Board of School Education Haryana, Bhiwani; or

(ii) any other Board which is declared by the Government to be a recognized Board for the purpose of these rules;

(b) "Commission" means the Haryana Staff Selection Commission;

(c) "Deputy Collector" means the Deputy Collector of Irrigation and Water Resources Department, Haryana;

(d) "direct recruitment" means an appointment made otherwise than by promotion from within the Service or by transfer of an official already in the service of the Government of India or any State Government;

(e) "Engineer-in-Chief" means the Engineer-in-Chief of Irrigation and Water Resources Department, Haryana;

(f) "Executive Engineer" means an officer incharge of canal system or area known as a division of Irrigation and Water Resources Department, Haryana;

(g) "General Manager" means the General Manager/Project of Irrigation and Water Resources Department, Haryana;

(h) "Government" means the Government of the State of Haryana in the Administrative Department;

(i) "Institution" means,

(i) any institution established by law in force in the State of Haryana; or

(ii) any other institution recognized by the Government for the purpose of these rules;

(j) "recognized university" means,

(i) any university incorporated by law in India; or

(ii) any other university which is declared by the Government to be a recognized university for the purpose of these rules;

(k) "Service" means Irrigation and Water Resources Department Haryana Revenue Establishment (Group-C) Service;

(l) "Superintending Engineer" means an officer incharge of Canal System of an area Known as Circle of Irrigation and Water Resources Department, Haryana.

PART-II RECRUITMENT TO SERVICE

3. Number and character of posts.

The Service shall comprise the posts as shown in **Appendix A** to these rules:

Provided that nothing in these rules shall affect the inherent right of the Government or to make additions to or reduction in the number of such posts or to create new posts with different designation and scales of pay, either permanently or temporarily.

4. Nationality, domicile and character of candidate appointed to the Service.

(1) No person shall be appointed to any post in the service, unless he is,

(a) a citizen of India; or

(b) a subject of Nepal; or

(c) a subject of Bhutan:

Provided that a person belonging to any of categories (b) or (c) shall be a person in whose favour a certificate or eligibility has been issued by the Government

(2) A person in whose case a certificate of eligibility is necessary may be admitted to an examination or interview conducted by the Commission or any other recruiting authority, but the offer of appointment may be given only after the necessary eligibility certificate has been issued to him by the Government.

(3) No person shall be appointed to any post in the Service by direct recruitment, unless he produces a certificate of character from the Principal, academic officer of the university, college, school or institution last attended, if any and similar certificates from two other persons, not being his relatives, who are well acquainted with him in his private life and are unconnected with his university, college, school or institution.

5. Age.

No person shall be appointed to any post in the service by direct recruitment who is less than eighteen years or more than **forty two** years of age on the last date of submission of applications to the Commission or any other recruiting authority.

6. Qualifications.

No person shall be appointed to any post in the SERVICE, unless he is in possession of qualifications and experience specified in column 3 of **Appendix B** to these rules in case of direct recruitment and those specified in column 4 of the aforesaid Appendix in case of appointment other than direct recruitment.

Provided that in case of appointment by direct recruitment, the qualifications regarding experience shall be relaxable to the extent to fifty percent at the discretion of the Commission, in case sufficient number of candidates belonging to Schedule Castes, Backward Classes, Ex-Servicemen and Physically Handicapped categories, possessing the requisite experience, are not available to fill up the vacancies reserved for them, after recording reasons for so doing in writing.

7. Disqualifications.

No person-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to any post in the Service:

Provided that the Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

8. Appointing Authority.

Appointments to the posts in the Service shall be made by the Appointing Authority as specified in **Appendix C** of these Rules.

9. Method of Recruitment.

(1) Recruitment to the Service shall be made:-

(a) **In the case of Zilledar-**

(i) 50% by promotion from amongst Head Revenue Clerk, Assessment, Revenue Clerk and Assistant Revenue Clerk on seniority-cum-merit basis;

(ii) 50% by direct recruitment or by transfer or deputation of an official already as Zilledar in the service of any State Government or Government of India:

Provided that the initial appointment, in the case of direct recruitment as Zilledar, shall be made as candidate Zilliedar.

(b) **In the case of Head Revenue Clerk-**

100 % by promotion from amongst Assessment Clerks.

(c) **In the case of Assessment Clerk-**

100% by promotion from amongst Revenue Clerk.

(d) **In the case of Revenue Clerk-**

100% by promotion from amongst the Assistant Revenue Clerks.

(e) **In the case of Assistant Revenue Clerk-**

(i) 75% by promotion from amongst Canal Patwaris; and

(ii) 25% by direct recruitment; or by transfer or deputation of an official already as Assistant Revenue Clerk in the Service of any State Government or the Government of India:

Provided that the initial appointment in the case of direct recruitment as Assistant Revenue Clerk, shall be made as candidate Assistant Revenue Clerk.

(f) **In the case of Canal Patwari-**

100% by direct recruitment:

Provided that the initial appointment in the case of direct recruitment as Canal Patwari, shall be made as candidate Canal Patwari.

(2) All promotions, unless otherwise provided, shall be made on seniority-cum-merit basis and seniority alone shall not confer any right to such promotion.

(3) The candidates appointed by way of direct recruitment, shall have to undergo a training-

(a) **In case of candidate Zilledar**

(i) he shall undergo the training for a period of six months under the supervision of Deputy Collector and after completion of training, the candidate shall be required to pass the departmental examination as per syllabus provided in the **Appendix D**. In addition to this, he shall complete a three months certificate programme of computer proficiency including Microsoft (M.S.) and Data Base Management System (DBMS) from an authorized institute as prescribed by the Government. On passing of examinations, the candidate shall be appointed as Zilledar;

(ii) the Examination shall be conducted at the Head office level;

(iii) in case, the candidate is unable to pass the examination in the first chance, he shall be given two more chances after the period of every three months from the date of last examination. Till then, he shall continue to be on training. If, the candidate is unable to pass the examination even after third chance, Engineer-In-Chief may give a mercy chance after a period of three months. Till then, he shall continue to be on training. If, any candidate is unable to pass the examination even after availing mercy chance, his services as candidate Zilledar shall be terminated;

(iv) during the period of training and till he joins as Zilledar, he shall receive a stipend @ Rs. 20,000/- (Rupees Twenty Thousand only) per month or as revised by Government from time to time; and

(v) in case, the work or conduct of any candidate Zilledar during training period, is not found satisfactory, his name shall be removed from the list of the accepted candidates.

(b) **In case of candidate Assistant Revenue Clerk-**

(i) he shall undergo a training for a period of six months under the supervision of Zilledar. For first four months, he shall be attached with the Canal Patwari and for next two months with Assistant Revenue Clerk. After completion of Training, the candidate shall be required to pass the departmental examination, as per syllabus provided in the **Appendix E**. In addition to this, he shall complete a three months certificate programme of computer proficiency including Microsoft (M.S.) and Data Base Management System (DBMS) from an authorized institute as prescribed by the Government. On passing the examination, the candidate shall be appointed as Assistant Revenue Clerk;

(ii) the Examination will be conducted at the Head office level;

(iii) in case, the candidate is unable to pass the examination in the first chance, he shall be given two more chances after the period of every three months from the date of last examination. Till then, he shall continue to be on training. If, the candidate is unable to pass the examination even after third chance, Engineer-In-Chief may give a mercy chance after a period of three months. Till then, he shall continue to be on training. If, any candidate is unable to pass the examination even after availing mercy chance, his services as candidate Assistant Revenue Clerk shall be terminated;

(iv) during the period of training and till he joins as Assistant Revenue Clerk, he shall receive a stipend @ Rs. 18,000/- (Rs. Eighteen thousand only) per month or as revised by Government from time to time; and

(v) in case, the work or conduct of any candidate Assistant Revenue Clerk, during training period is not found satisfactory, his name shall be removed from the list of the accepted candidates.

(c) **In case of candidate Canal Patwari**

(i) He shall undergo a training for a period of six months under the supervision of Zilledar. For first four months, he shall be attached with the Canal Patwari and for next two months with Assistant Revenue Clerk. After completion of training, the candidate shall be required to pass the departmental examination as per syllabus provided in the **Appendix F**. In addition to this, he shall complete a three months certificate programme of computer proficiency including Microsoft (M.S.) and Data Base Management System (DBMS) from an authorized institute as prescribed by the Government. On passing the examinations, he shall be appointed as Canal Patwari;

(ii) the Examination shall be conducted at the Head office level;

(iii) in case the candidate is unable to pass the examination in the first chance, he shall be given two more chances after the period of every three months from the date of last examination. Till then, he shall continue to be on training. If, the candidate is unable to pass the examination even after third chance, Engineer-In-Chief may give a mercy chance after a period of three months. Till then, he shall continue to be on training. If, any candidate is unable to pass the examination even after availing mercy chance, his services as candidate Canal Patwari shall be terminated;

(iv) during the period of training and till he joins as Canal Patwari, he shall receive a stipend @ Rs. 15,000/- (Rupees Fifteen thousand only) per month or as revised by Government from time to time; and

(v) in case the work or conduct of any candidate Canal Patwari, during training period, is not found satisfactory, his name shall be removed from the list of the accepted candidates.

10. Probation.

(1) Persons appointed to any post in the Service shall remain on probation for a period of two years, if appointed by direct recruitment and one year, if appointed otherwise:

Provided that:-

(a) any period after such appointment spent on deputation on a corresponding or a higher post, shall be counted towards the period of probation;

(b) any period of work in equivalent or higher rank, prior to appointment to any post in the Service may, in case of appointment by transfer, at the discretion of the appointing authority, be allowed to count towards the period of probation fixed under this rule; and

(c) any period of officiating appointment, shall be reckoned as period spent on probation, but no person who has so officiated shall, on the completion of the prescribed period of probation, be entitled to be confirmed, unless he is appointed against a permanent vacancy.

(2) If, in the opinion of the appointing authority, the work or conduct of a person during the period of probation is not found satisfactory, may,-

(a) if such person is appointed by direct recruitment, dispense with his Services; or

extend his period of probation for one year after passing such order, as it could have passed on the expiry of the first period of probation:

Provided that the total period of probation including extension, if any, shall not exceed three years.

(b) if such person is appointed otherwise than by direct recruitment-

(i) revert him to his former post: or

extend his period of probation for one year after passing such order, as it could have passed on the expiry of the first period of probation:

Provided that the total period of probation including extension, if any, shall not exceed two years; and

(ii) deal with him in such otherwise manner as the terms and conditions of the previous appointment permit.

(3) On the completion of the probation period of a person, the appointing authority may,-

(a) If his work or conduct has, in its opinion, been satisfactory,-

(i) confirm such person from the date of his appointment, if appointed against a permanent vacancy; or

(ii) confirm such person from the date from which a permanent vacancy occurs, if appointed against a temporary vacancy; or

(iii) declare that he has completed his probation satisfactorily, if there is no permanent vacancy.

(b) If his work or conduct has, in its opinion, been not satisfactory,-

(i) dispense with his Service, if appointed by direct recruitment, if appointed otherwise, revert him to his former post or deal with him in such other manner, as the terms and conditions of previous appointment permit; or

(ii) extend his period of probation and thereafter pass such order, as it could have passed on the expiry of the first period of probation:

Provided that the total period of probation including extension, if any, shall not exceed three years.

11. Seniority.

Seniority, inter-se, of the members of the Service shall be determined by the length of continuous Service on any post in the Service:

Provided that in the case of members appointed by direct recruitment, the order of merit determined by the Commission or any other recruiting authority, as the case may be, shall not be disturbed in fixing the seniority;

Provided further that in the case of two or more members appointed on the same date through different sources, their seniority shall be determined as follows:-

(a) member appointed by direct recruitment shall be senior to a member appointed by promotion or by transfer;

(b) a member appointed by promotion shall be senior to a member appointed by transfer;

(c) in the case of members appointed by promotion or by transfer, seniority shall be determined according to the seniority of such members in the appointment from which they were promoted or transferred; and

(d) in the case of members appointed by transfer from different cadres, their seniority shall be determined according to pay, preference shall be given to a member, who was drawing a higher rate of pay in his previous appointment; and if the rates of pay drawn are the same, then by the length of their Service in the appointments and if the length of such Service is also the same, the older member shall be senior to the younger member:

Provided further that the seniority of the members of service shall be maintained at the Head Office level.

12. Pay, leave, pension and other matters.

(1) In respect of pay, leave, pension and all other matters, not expressly provided for in these rules, the members of the service shall be governed by the Haryana Civil Services (General) Rules, 2016, the Haryana Civil Services (Pay) Rules, 2016, the Haryana Civil Services (Leave) Rules, 2016, the Haryana Civil Services (Allowances to Government Employees) Rules, 2016, the Haryana Civil Services (General Provident Fund) Rules, 2016, the Haryana Civil Services (Government Employee Conduct) Rules, 2016, the Haryana Civil Services (Punishment and Appeal) Rules, 2016, the Haryana Civil Services (Travelling Allowances) Rules, 2016, the Haryana Civil Services (Pension) Rules, 2016 and by such rules and regulations, as may have been, or may hereafter, be adopted or made by the competent authority of India under the Constitution of India or under any law for the time being in force made by the State Legislature :

Provided that the Haryana Civil Services (Pension) Rules, 2016 shall not be applicable to those members of Service, who are appointed on or after 1st January, 2006.

(2) A person who retires from Service or post shall be eligible to add his Service qualifying for superannuation pension (but not for any other class of pension)-

(i) the actual period not exceeding one-forth of the length of his service; or

(ii) the actual period by which his age at the time of recruitment exceeds twenty five years; or

(iii) a period of five years,

Whichever is less, if the service or post to which the Government employee is appointed is one-

(a) for which post graduate research or specialist qualification, or experience in scientific, technological or professional fields is essential; and

(b) to which candidates of more than twenty-five years of age are normally recruited:

Provided that this concession shall be admissible to a Government employee-

(i) appointed by direct recruitment and not by promotion;

(ii) who has actual qualifying service of ten years or more at the time of superannuation retirement;

(iii) appointed to a post, the recruitment rules of which contain a specific provision that the service or post is one which carries the benefit of this rule :

Provided that the provision of above said sub-rule (2) shall not be applicable to those members of service who are appointed on or after 1st January, 2006.

(3) The concession referred to sub-rule (2) shall also be admissible on subsequent appointment from any other post to such a post in the same or any other department :

Provided that Government employee shall be entitled either to count his past qualifying service for superannuation pension or to get concession under sub-rule (2). He shall exercise an option to this effect within one year from the date of joining. The option once exercised shall be final.

Note : The decision to grant the concession under the rule shall be taken within two years from the date of recruitment by the Administrative Department in consultation with the Finance Department.

13 . Liability to serve.

(1) A member of the Service shall be liable to serve at any place, whether within or outside the State of Haryana, on being ordered so to do by the appointing authority.

(2) A member of the Service may also be deputed to serve under,-

(i) a company, an association or a body of individuals whether incorporated or not, which is wholly or substantially owned or controlled by the State Government, a Municipal Corporation or a local authority or university within the State of Haryana;

(ii) the Central Government or a company, an association or a body of individual, whether incorporated or not which is wholly or substantially owned or controlled by the Central Government; or

(iii) any other State Government, an international organization or an autonomous body not controlled by the Government or a private body :

Provided that no member of the Service shall be deputed to serve the Central or any other State Government or any organization or body referred to in clauses (ii) or (iii) except with his consent.

14. Discipline, penalties and appeals.

(1) In matters relating to discipline, penalties and appeals, the members of the Service shall be governed by the Haryana Civil Services (Punishment and Appeal) Rules, 2016 and/or as amended from time to time:

Provided that the nature of penalties which may be imposed, the authority empowered to impose such penalties and appellate authority shall, subject to the provisions of any law or rules made under article 309 of the Constitution of India, be such as are specified in **Appendix C** to these Rules.

(2) The authority competent to pass an order under rule-6 of the Haryana Civil Services (Punishment and Appeal) Rules, 2016 and appellate authority shall be as specified in **Appendix C** to these Rules.

15. Vaccination.

Every member of the service, shall get himself vaccinated and revaccinated, if and when the Government so directs by a special or general order.

16. Oath of allegiance

Every member of the service unless he has already done so, shall be required to take the oath of allegiance to India and to the Constitution of India, as by law established.

17. Reservations.

Nothing contained in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for Scheduled Castes, Backward Classes, Ex-Serviceman, Person with Disability or any other class or category of persons in accordance with the orders issued by the State Government in this regard, from time to time.

18. Special provision.

Notwithstanding anything contained in these rules, the appointing authority may impose special terms and conditions in the order of appointment, if it is deemed expedient to do so.

19. Power of relaxation.

Where the Government is of the opinion that it is necessary to expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

20. Repeal and savings.

The Punjab Public Works Department (Irrigation Branch), Zilladars' State Service, Class III, Rules, 1955, the Haryana Irrigation Department Revenue and Assessment Clerks (Group-C) Service Rules, 1991 and the Punjab Public Works Department (Irrigation Branch) Patwaris' State Service, Class III, Rules, 1955 are hereby repealed :

Provided that any order made or action taken under the rules, so repealed, shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provisions of these Rules.

APPENDIX A

(See rule 3)

Serial Number	**Designation of the Post**	**Number of Posts**			**Scale of Pay**
(1)	**(2)**	**(3)**			**(4)**
1.	Zilledar	**Permanent**	**Temporary**	**Total**	FPL-6 (Rs. 35400-112400) of the Revised Pay Rules, 2016
		108	12	120	
2.	Head Revenue Clerk	44	05	49	FPL-6 (Rs. 35400-112400) of the Revised Pay Rules, 2016
3.	Assessment Clerk	22	02	24	FPL-6 (Rs. 35400-112400) of the Revised Pay Rules, 2016
4.	Revenue Clerk	84	09	93	FPL-6 (Rs. 35400-112400) of the Revised Pay Rules, 2016
5.	Assistant Revenue Clerk	183	20	203	FPL-4 (Rs. 25500-81100) of the Revised Pay Rules, 2016
6.	Canal Patwari	1273	142	1415	FPL-2 (Rs. 19900-63200) of the Revised Pay Rules, 2016

APPENDIX B

(See rule 6)

Serial Number	Designation of the posts	Academic qualification for direct appointment	Academic qualification and experience, if any, for appointment other than direct recruitment.
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Zilledar	(i) Graduate with 55% marks or its equivalent examination from a recognized University. (ii) Matric/ 10+2/ Graduate/ Post Graduate with Hindi/ Sanskrit as one of the subject.	(i) by promotion. (ii) three years experience as Head Revenue Clerk, Assistant Clerk, Revenue Clerk or Assistant Revenue Clerk. (iii) Graduation from any recognized University or its equivalent. Provided that the minimum qualification for those members of Service recruited in the Service before the date of publication of these rules shall be 10+2.
2.	Head Revenue Clerk	---	(i) by promotion. (ii) one year experience as Assessment Clerk.
3.	Assessment Clerk	---	(i) by promotion. (ii) two years experience as Revenue Clerk
4.	Revenue Clerk	---	(i) by promotion. (ii) three years experience as Assistant Revenue Clerk.
5.	Assistant Revenue Clerk	(i) Graduate with 50% marks or its equivalent examination from a recognized University. (ii) Matric/ 10+2/ Graduate/ Post Graduate with Hindi/ Sanskrit as one of the subject.	(i) by promotion. (ii) five years experience as Canal Patwari.
6.	Canal Patwari	(i) Graduate or its equivalent examination from a recognized University. (ii) Matric/ 10+2/ Graduate/ Post Graduate with Hindi/ Sanskrit as one of the subject.	---

Appendix-C

(See rule 8 and 14)

Serial Number	**Designation of the Post**	**Appointing Authority**	**Nature of Penalty**	**Authority empowered to impose Penalty**	**Appellate Authority**	**Second and final Appellate Authority, if any**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**
1.	Zilledar	Engineer-In-Chief	**Minor Penalties** As mentioned in rule 4(a) of Haryana Civil Service (Punishment and Appeal) Rules, 2016 **Major Penalties** As mentioned in rule 4(b) of Haryana Civil Service (Punishment and Appeal) Rules, 2016**.**	Engineer-In-Chief	Government	-
2.	Head Revenue Clerk					
3.	Assessment Clerk					
4.	Revenue Clerk					
5.	Assistant Revenue Clerk					
6.	Canal Patwari	Superintending Engineer	**Minor Penalties** As mentioned in rule 4(a) of Haryana Civil Service (Punishment and Appeal) Rules, 2016. **Major Penalties** As mentioned in rule 4(b) of Haryana Civil Service (Punishment and Appeal) Rules, 2016**.**	Superintending Engineer	Engineer-In-Chief	Government

APPENDIX D

[See rule 9 (3)(a) (i)]

The departmental examinations on the basis of under mentioned syllabus will be got conducted by Head of Department for which any Superintending Engineer of Irrigation and Water Resources Department, Haryana shall be deputed to conduct the examinations of candidate Zilledars and result thereof shall be submitted to the Head of the department for approval and declaration.

	Syllabus of examination	**Full Marks**	**Pass Marks**
(i)	**Arithmetic**- Of matric standard.	50	35
(ii)	**Mensuration**- Of plane surfaces, triangles and polygonal figures.	50	35
(iii)	**Registration of Irrigation-** To possess a thorough practical knowledge of a Zilledar's duty in this respect. To hold a certificate of having correctly written up the Irrigation register (Shudkar khasra) of a village for not less than 600 acres in the crop. The irrigation will be written up on the special Shudkar Khasra form provided for the purpose. To be able to read a village map (shajrah) and to follow the fields accurately on the ground; to be able to measure accurately by pacing and to calculate mentally the areas of fields so paced; to be able to measure a field of any shape by chain.	50	35
(iv)	**Mapping and drawing-** To be able to lay down correctly on village map, the line of a watercourse; to be able to lay out a settlement square (that being the basis of a village map) and to fill in the field boundaries thereon. To know the method of making a village map and of reducing such map to a smaller scale by the method of squares. To be able to trace a village map on cloth or paper	50	35
(v)	**The Demand Statement (Khatauni)-** To possess a thorough practical knowledge of the method of posting a demand statement and of preparing the irrigator's bills (perches). To hold a certificate of having actually prepared the demand statement of an entire village from the irrigation register in a satisfactory manner. To be able to work out the amounts to be assessed both mentally and by reference to a rate table. To be able to repeat orally all the water rates according to the schedule in force in the department.	50	35
(vi)	**Miscellaneous**- To be fully acquainted with a Zilledar's duty on the occasion of a breach in the bank of a canal or distributary, or of overflow from a channel. To know the times for the successive watering of each kind of crop and the approximate dates of harvesting and other miscellaneous matters connected with the work and duties of a Zilledar's. Also to be able to take the discharges of small channels with fair accuracy.	50	35
(vii)	**Canal Act-**To know such portions of the Canal Act (Haryana Canal Act and Drainage Act, 1974 and Haryana Canal and Drainage Rules, 1976) and the rules there under as appertain to his work; the system of assessing water wasted and used in an unauthorized manner	50	35

Appendix E

[See rule 9 (3) (b) (i)]

The departmental examinations on the basis of under mentioned syllabus shall be got conducted by Head of the department for which any Executive Engineer or Superintending Engineer of Irrigation and Water Resources Department, Haryana shall be depute to conduct the examinations of the candidate Assistant Revenue Clerks and result thereof shall be submitted to the Head of the department for approval and declaration.

	Syllabus of examination	**Full Marks**	**Pass Marks**
(i)	**Arithmetic**- Of matric standard.	50	30
(ii)	**Mensuration**- Of plane surfaces, triangles and polygonal figures.	50	30
(iii)	**Registration of Irrigation-** To possess a through practical knowledge of a an Assistant Revenue Clerk's duty in this respect. To hold a certificate of having correctly written up the Irrigation register (Shudkara khasra) of a village for not less than 400 acres in the crop. The Irrigation will be written up on the special Shudkar Khasra from provided for the purpose. To be able to read a village map (Shajrah) and to follow the fields accurately on the ground; to be able to measure accurately by pacing, and to calculate mentally the areas of field so paced; to be able to measure a field of any shape by chain.	50	30
(iv)	**Mapping and drawing-** To be able to lay down correctly on a village map the line of a watercourse; to be able to lay out a settlement square (that being the basis of a village map) and to fill in the field boundaries thereon. To know the method of making a village map and of reducing such map to a smaller scale by the method of squares. To be able to trace a village map on cloth or paper.	50	30
(v)	**The Demand Statement (Khatauni**)- To possess a through practical knowledge of the method of posting a demand statement and of preparing the Irrigator's bills (perches). To hold a certificate of having actually prepared the demand statement of an entire village from the irrigation register in a satisfactory manner. To be able to work out the amounts to be assessed, both mentally and by reference to a rate table. To be able to repeat orally all the water rates according to the schedule in force in the Division where the candidate was trained.	50	30
(vi)	**Miscellaneous**- To be fully acquainted with an Assistant Revenue Clerk's duty on the occasion of a breach in the bank of a canal or distributor, or of overflow from a channel. To know the times for the successive watering of each kind of crop and the approximate dates of harvesting, and other miscellaneous matters connected with the work and duties of a Patwaris. Also to be able to take the discharges of small channels with fair accuracy.	50	30
(vii)	**Canal Act-** To know such portions of the Canal Act (Haryana Canal and Drainage Act, 1974 and Haryana Canal and Drainage Rules, 1976) and the rules there under as appertain to his work; the system of assessing water wasted and used in an unauthorized manner.	50	30

Appendix F

[See rule 9 (3) (c)(i)]

The departmental examinations on the basis of under-mentioned syllabus shall be got conducted by Head of Department for which any Executive Engineer or Superintending Engineer of Irrigation and Water Resources Department, Haryana shall be deputed to conduct the examinations of the candidate Canal Patwaris and result thereof will be submitted to the Head of the department for approval and declaration.

	Syllabus of examination	Full Marks	Pass Marks
(i)	**Arithmetic-**Of matric standard	50	25
(ii)	**Mensuration-** Of plane surfaces, triangles and polygonal figures.	50	25
(iii)	**Registration of Irrigation**- To possess a thorough practical knowledge of a Patwari's duty in this respect. To hold a certificate of having correctly written up the Irrigation register (Shudkara khasra) of a village for not less than 300 acres in the crop. The Irrigation will be written up on the special Shudkar Khasra form provided for the purpose. To be able to read a village map (Shajrah) and to follow the fields accurately on the ground; to be able to measure accurately by pacing, and to calculate mentally the areas of field so paced; to be able to measure a field of any shape by chain.	50	25
(iv)	**Mapping and drawing-** To be able to lay down correctly on a village map the line of a watercourse; to be able to lay out a settlement square (that being the basis of a village map) and to fill in the field boundaries thereon. To know the method of making a village map and of reducing such map to a smaller scale by the method of squares. To be able to trace a village map on cloth or paper.	50	25
(v)	**The Demand Statement (Khatauni**)- To possess a through practical knowledge of the method of posting a demand statement and of preparing the Irrigator's bills (perches). To hold a certificate of having actually prepared the demand statement of an entire village from the irrigation register in a satisfactory manner. To be able to work out the amounts to be assessed, both mentally and by reference to a rate table. To be able to repeat orally all the water rates according to the schedule in force in the department.	50	25
(vi)	**Miscellaneous**- To be fully acquainted with a Patwari's duty on the occasion of a breach in the bank of a canal or distributory, or of overflow from a channel. To know the times for the successive watering of each kind of crop and the approximate dates of harvesting, and other miscellaneous matters connected with the work and duties of a Patwaris. Also to be able to take the discharges of small channels with fair accuracy.	50	25
(vii)	**Canal Act-** To know such portions of the Canal Act (Haryana Canal and Drainage Act, 1974 and Haryana Canal and Drainage Rules, 1976) and the rules there under as appertain to his work; the system of assessing water wasted and used in an unauthorized manner	50	25

ALOK NIGAM,
Additional Chief Secretary to Government of Haryana,
Irrigation and Water Resources Department.

57113—C.S.—H.G.P., Chd.